बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

जी.एस.आर. 3449 दिनांक 18/06/2014 मोटरगाड़ी अधिनियम, 1988 की धारा-67 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के लिये जो भाड़े की दर निर्धारित करना चाहते हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप उक्त अधिनियम की उक्त धारा के परंतुक के अपेक्षानुसार उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी के लिए इस अधिसूचना के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस प्रारूप पर इस अधिसूचना के बिहार गजट में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के अन्दर प्राप्त आपत्ति एवं सुझाव पर विचार किया किया जायेगा ।

2. वर्ष 2002 के बाद बसों के भाड़े में कोई पुनरीक्षण नहीं हुआ है और इस बीच पेट्रोल/डीजल आदि के मूल्य में काफी वृद्धि हुई है । अतएव राज्य सरकार ने विचार किया है कि अधिसूचना संख्या-जी.एस.आर.-4450 दिनांक 10.10.2000 के द्वारा निर्धारित दर का संशोधन आवश्यक है । बसों के भाड़े में वृद्धि के संबंध में राज्य एवं सभी क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को निदेश निर्गत किया जाय ।

निदेश का प्रारूप

राज्य सरकार निदेश देती है कि राज्य/क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार निम्नांकित निर्धारित शर्तो के साथ बसों के भाड़े की दर लम्बी दूरी के बसों/नगरीय/उपनगरीय एवं अन्य नगर क्षेत्र के लिए निम्न प्रकार से निर्धारित करेंगे :-

क्रमांक	बसों की श्रेणी	भाड़े की दर (प्रति कि.मी. प्रति यात्री)	अभियुक्ति
1	साधारण बस सेवा	75 पैसे	
2	एक्सप्रेस बस सेवा	80 पैसे	
3	सेमी डीलक्स बस सेवा	95 पैसे	
4	डीलक्स बस सेवा	115 पैसे	
5	डीलक्स वातानुकूलित बस सेवा	125 पैसे	
6	वोल्वो एवं समतुल्य लक्जीरियस बस सेवा	170 पैसे	
7	नगरीय बस सेवा	प्रथम स्टेज तक 100 पैसे प्रति कि.मी. प्रति सीट अगले स्टेज के लिए 90 पैसा प्रति कि.मी. प्रति सीट	

सामान्य शर्तें जिसके अन्तर्गत भाड़े का दर निर्धारित किया जायेगा :-

1. उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया निर्धारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा ।
2. नगरीय सेवा के बसों के लिए प्रथम स्टेज 4 कि.मी. का और अगला प्रत्येक स्टेज 2 कि.मी. का होगा ।
3. लम्बी दूरी की बस सेवा के भाड़े की गणना प्रथम 100 कि.मी. तक उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा दर के आधार पर, 101 से 250 कि.मी. की दूरी के तक लिए उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा के दर के आधार पर निर्धारित किराये में 20% की कमी एवं 251 कि.मी. से ज्यादा दूरी के लिए उस श्रेणी के बेसिक भाड़ा के दर के आधार पर निर्धारित किराये में 30% की कमी लाते हुए भाड़ा निर्धारित की जाएगी ।
4. जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका सुगोचर ढ़ंग से प्रदर्शित की जाएगी ।
5. बसों के श्रेणी की परिभाषा बस भाड़ा निर्धारण समिति द्वारा परिभाषित स्थूल रूप से मान्य होगी ।
6. निर्धारित भाड़े की दर से कोई अधिक भाड़ा वसूल नहीं करेगा ।
7. प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप से प्रदर्शित करेंगे ।
8. बसें सार्वजनिक स्थान पर नहीं लगायी जायेगी बल्कि जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड पर लगायी जायेगी ।
9. प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी रहेगी ।

18.6.14

प्रधान सचिव-सह-राज्य परिवहन आयुक्त,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।